48

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प.9(6) राज–/2000/8 जयपुर, दिनांक : 22.6.0

जिला कलेक्टर
(समस्त)

–: परिपत्र :–

राज्य सरकार द्वारा चारागाह की भूमियों का रख–रखाव करने का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया हुआ है। चारागाह भूमियाँ साधारणतया अविकसित रुप में होने के कारण उनसे वांछित लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त चारागाह भूमियों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण भी कर लिये गये हैं। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी चारागाह भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही साधारणतया नहीं हो पाती है। इस कारण समय–समय पर जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। चारागाह भूमियों का ग्रामीण समुदाय को समुचित लाभ प्राप्त हो सके, उसके लिये निम्नलिखित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. चारागाह भूमियों पर से अतिक्रमण भौतिक रुप से तत्परता के साथ हटाया जावे तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के साथ–साथ राजस्थान भू राजस्व (अतिक्रमणियों के निष्कासन) नियम, 1975 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जावे। चारागाह भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।
2. वर्तमान में गाँवों में चारागाह लगभग बंजर स्थिति में हैं। ग्रामवासियों को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। अतः चारागाह को विकसित करने के लिये भारत सरकार /राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से चारागाहों को विकसित करने हेतु ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जावे। विभिन्न जलग्रहण विकास योजनाओं यथा मरु विकास कार्यक्रम, मरु प्रसार रोक कार्यक्रम, सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, बंजर भूमि कार्यक्रम में उपलब्ध राशि से चारागाहों को विकसित करने के कार्य किये जावें।
3. वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों का समन्वय प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाकर चारागाह में वृक्षारोपण के कार्य को अभियान के रुप में संचालित किया जावे।
4. चारागाह में नाड़ी (छोटे तालाब) जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में पूर्व से ही मौजूद हैं, उनकी सफाई की जावे एवं नवीन नाड़ी बनाये जाने के लिए आम नागरिकों का प्रोत्साहित किया जावे, जिससे जल संग्रह का स्थाई साधन बनने पर पशुओं को पानी पीने एवं वृक्षों में पानी देने की आवश्यक पूर्ती हो सके।
5. भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरेगा के अन्तर्गत भी चारागाह विकास कार्य कराये जा सकते हैं।

उपरोक्त की मासिक समीक्षा प्रत्येक जिले में किसी न किसी स्तर पर आवश्यक की जाकर राज्य सरकार को तिमाही समीक्षा रिपोर्ट भी भिजवाई जावे।

चारागाहों पर से अतिक्रमण हटाने एवं चारागाह विकास हेतु ग्रामीण जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जावे तो जिससे इसके सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकें।

कृपया पत्र की पावती से अवगत करावें।

22/06/09

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :
1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. आयुक्त, नरेगा।
3. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
4. उप सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
5. निजी सचिव (M), प्रमुख शासन सचिव राजस्व।

शासन उप सचिव